

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट (योजना)-02/2022.....²⁰⁶⁷

प्रेषक,

जय सिंह, मा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर (आरा), कैमूर, पटना, बक्सर
बन्दोबस्त पदाधिकारी,
शिवहर, सीतामढ़ी, लखीसराय, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, शेखपुरा

पटना दिनांक :- 13/03/2023

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद एवं वेतनादि मद से भिन्न मद में कुल- 3,91,51,736/- (तीन करोड़ ईक्यावन लाख ईक्यावन हजार सात सौ छत्तीस) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 04 म०क०भ०	02 01 मजदुरी	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 04 विद्युत प्रभार	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	28 02 संविदा सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण (छपरा)	116282	-	7000	-	-	-	21000	-	-	144282
2	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	5000
3	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा	-	-	-	-	-	-	50000	-	-	50000
4	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	30000	-	-	-	37250	-	50000	-	-	117250
5	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर	6600	-	-	-	-	-	-	-	-	6600
6	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	100000	100000	-	300000	50000	-	-	-	-	550000
7	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर	-	-	-	-	-	-	-	-	300000	300000

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 04 म०क०भ०	02 01 मजदूरी	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 04 विद्युत प्रभार	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	28 02 संविदा सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	-	-	-	-	-	-	-	-	3700000	3700000
9	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	1000000	1232080	-	-	-	300000	-	-	-	2532080
10	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	380353	160995	-	-	-	-	-	-	-	541348
11	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	-	-	-	-	-	-	260000	-	20000000	20260000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	-	-	-	-	-	-	-	100000	-	100000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	-	-	-	-	-	-	-	-	2641564	2641564
14	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	437400	166212	-	-	-	-	-	-	-	603612
15	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	600000	-	-	-	-	-	-	-	7000000	7600000
कुल योग :-		2675635	1659287	7000	300000	87250	300000	381000	100000	33641564	39151736

नोट :-1. जीवन यापन भत्ता मद में अधियाचना के अनुसार राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वेतनादि मद के अन्य मद में उपलब्ध आधिक्य राशि से समेकित रूप से वेतन का भुगतान किया जा सकता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड **40- 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक 13/03/2023

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....2067

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक 13/03/2023

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....2067

प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक 13/03/2023

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....2067

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक 13/03/2023

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....2067

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण